



Review Article

गैर सैन्य चुनौतियां एवं खतरें

डॉ. लाल बहादुर राम

एसोसिएट प्रोफेसर, सैन्य विज्ञान विभाग, समता पी जी कॉलेज सादात, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: * डॉ. लाल बहादुर राम

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20414896>

सारांश

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल बाह्य आक्रमणों तक सीमित नहीं होती, बल्कि आंतरिक एवं गैर-सैन्य चुनौतियाँ भी उसकी स्थिरता और विकास को गहराई से प्रभावित करती हैं। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के अनुसार राज्य का प्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा की सुरक्षा और हित सुनिश्चित करना है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की आंतरिक सुरक्षा विभिन्न प्रकार की गैर-सैन्य चुनौतियों जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक द्रव्य व्यापार, संगठित अपराध एवं साइबर अपराध से प्रभावित हो रही है। इस शोध-पत्र में आंतरिक सुरक्षा की अवधारणा, इसके समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों, राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका तथा सुरक्षा प्रबंधन की खामियों का विश्लेषण करते हुए प्रभावी समाधान प्रस्तुत किये गए हैं।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 09-04-2026
- Accepted: 03-05-2026
- Published: 27-05-2026
- IJCRM:5(3); 2026: 420-424
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

लाल बहादुर राम. गैर सैन्य चुनौतियां एवं खतरें. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):420-424.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द : नक्सलवाद, आंतरिक शांति, सांप्रदायिक सौहार्द, छद्म युद्ध, Prevention of Money Laundering Act (PMLA)

प्रस्तावना

महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के शब्दों में किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रत्येक राजसत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है "प्रजा का सुख ही राजा का सुख और प्रजा का हित ही राजा का हित होता है।"

प्रजा के सुख और हित को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं

1. बाहरी आक्रमण (पड़ोसी या अन्य देश)
2. आंतरिक असुरक्षा (राज्य के भीतर अपराधी तत्व)

चाणक्य ने अर्थशास्त्र में चार प्रकार के खतरों का उल्लेख किया है:

- आंतरिक
- बाह्य
- बाह्य सहायता प्राप्त आंतरिक
- आंतरिक सहायता प्राप्त बाह्य

वर्तमान भारत में इन सभी प्रकार के खतरों का मिश्रण देखा जा सकता है।

आंतरिक सुरक्षा की अवधारणा

आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य किसी राष्ट्र की अपनी सीमाओं के भीतर शांति, कानून व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखने से है।

स्वतंत्रता से पूर्व जहाँ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे मुख्यतः सांप्रदायिक दंगे, आंदोलन और विरोध तक सीमित थे, वहीं आज विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने इसे अधिक जटिल बना दिया है।

अब पारंपरिक युद्धों के स्थान पर छद्म युद्ध (Proxy War) और असममित खतरे (Asymmetric Threats) अधिक प्रभावी हो गए हैं।

आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख घटक

किसी भी राष्ट्र की स्थिरता, विकास एवं संप्रभुता के लिए आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) एक आधारभूत स्तंभ के रूप में कार्य करती है। यह केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने का व्यापक तंत्र है। आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख घटकों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:

1. राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा (Protection of Sovereignty)

संप्रभुता (Sovereignty) किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्र पहचान एवं निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक होती है। आंतरिक सुरक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक यह सुनिश्चित करना है कि देश की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाह्य खतरा न उत्पन्न हो।

यह घटक देश के संवैधानिक ढांचे, सीमाओं की अखंडता तथा शासन प्रणाली की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अलगवावाद, उग्रवाद एवं विदेशी हस्तक्षेप जैसी गतिविधियाँ संप्रभुता को चुनौती देती हैं। अतः इन खतरों का प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम आवश्यक है।

2. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना (Maintenance of Law and Order)

कानून एवं व्यवस्था किसी भी समाज के सुचारु संचालन के लिए अनिवार्य है। यह घटक नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

एक प्रभावी कानून-व्यवस्था तंत्र में पुलिस, न्यायपालिका एवं प्रशासनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपराध नियंत्रण, दंगों की रोकथाम, तथा सामाजिक अशांति को नियंत्रित करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

यदि कानून-व्यवस्था कमजोर होती है, तो इसका सीधा प्रभाव आर्थिक गतिविधियों, निवेश एवं सामाजिक विश्वास पर पड़ता है।

3. आंतरिक शांति बनाए रखना (Maintenance of Internal Peace)

आंतरिक शांति का अर्थ केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें सभी नागरिक सुरक्षित एवं संतुष्ट महसूस करें।

यह घटक सामाजिक तनाव, क्षेत्रीय असंतुलन एवं आर्थिक विषमताओं को कम करने से जुड़ा है। नक्सलवाद, उग्रवाद एवं क्षेत्रीय संघर्ष आंतरिक शांति के लिए प्रमुख बाधाएँ हैं।

सरकार को विकास योजनाओं, संवाद (Dialogue) एवं समावेशी नीतियों के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

4. सांप्रदायिक सौहार्द एवं सहअस्तित्व को बढ़ावा देना (Promotion of Communal Harmony and Coexistence)

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक देश में सांप्रदायिक सौहार्द (Communal Harmony) आंतरिक सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है।

धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता के बावजूद सामाजिक एकता बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सांप्रदायिक दंगे, घृणा फैलाने वाली गतिविधियाँ एवं अफवाहें सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करती हैं।

इसलिए, सरकार एवं समाज दोनों को मिलकर सहिष्णुता, आपसी सम्मान एवं संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा, मीडिया एवं नागरिक समाज की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

समग्र दृष्टिकोण (Holistic Perspective)

इन सभी घटकों को एक-दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये परस्पर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि कानून-व्यवस्था कमजोर होगी, तो आंतरिक शांति प्रभावित होगी, और इससे संप्रभुता पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इसलिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समन्वित एवं बहु-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी नवाचार एवं सामाजिक सहभागिता को समान महत्व दिया जाए।

- राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना
- आंतरिक शांति बनाए रखना
- सांप्रदायिक सौहार्द एवं सहअस्तित्व को बढ़ावा देना

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

1. नक्सलवाद (Left Wing Extremism)

नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर और दीर्घकालिक चुनौतियों में से एक है। इसका आरंभ 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से हुआ, जहाँ चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने का आह्वान किया।

समय के साथ यह आंदोलन कई राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र आदि में फैल गया, जिसे "रेड कॉरिडोर" कहा जाता है। नक्सलवाद की जड़ें मुख्यतः गरीबी, बेरोजगारी, भूमि विवाद, आदिवासी शोषण और विकास की कमी में निहित हैं।

यह आंदोलन न केवल सुरक्षा बलों पर हमले करता है, बल्कि सरकारी ढांचे, विकास परियोजनाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी कमजोर करता है। इसके कारण शासन व्यवस्था बाधित होती है और स्थानीय जनता में भय का वातावरण बनता है।

2. धार्मिक कट्टरता एवं नृजातीय संघर्ष

धार्मिक कट्टरता और नृजातीय (Ethnic) संघर्ष सामाजिक समरसता के लिए गंभीर खतरा है। विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच अविश्वास और द्वेष की भावना से सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न होते हैं, जिससे जन-धन की हानि होती है।

कट्टरपंथी विचारधाराएँ युवाओं को भटकाकर उन्हें हिंसक गतिविधियों की ओर प्रेरित करती हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी भारत में नृजातीय संघर्ष (जैसे बोडो, नागा आदि समुदायों के बीच विवाद) क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाते हैं।

इस प्रकार के संघर्ष राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करते हैं तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं।

3. भ्रष्टाचार (Corruption)

भ्रष्टाचार को आंतरिक सुरक्षा के लिए एक "मूलभूत खतरा" माना जाता है। यह शासन और प्रशासन की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को कमजोर करता है।

जब सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो कानून का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता और अपराधियों को संरक्षण मिलने लगता है। इससे सुरक्षा एजेंसियों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र कमजोर होता है।

इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार विकास योजनाओं को भी प्रभावित करता है, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ता है और यह असंतोष कई बार उग्र आंदोलनों का रूप ले लेता है।

4. मादक द्रव्य व्यापार (Drug Trafficking)

भारत की भौगोलिक स्थिति इसे मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील बनाती है। भारत के निकट स्थित "गोल्डन ट्रायंगल" (म्यांमार, थाईलैंड, लाओस) और "गोल्डन क्रैसेंट" (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान) क्षेत्र विश्व के प्रमुख नशीले पदार्थ उत्पादन क्षेत्र हैं।

इन क्षेत्रों से अवैध रूप से ड्रग्स भारत में प्रवेश करते हैं, जिससे न केवल युवाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि अपराध दर भी बढ़ती है।

मादक द्रव्य व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने में भी किया जाता है, जिससे यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है।

5. मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering)

मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाया जाता है। यह गतिविधि आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार, ड्रग्स व्यापार और आतंकवाद से जुड़ी होती है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से अपराधी अपनी अवैध आय को छिपाकर उसे वैध अर्थव्यवस्था में शामिल कर देते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और स्थिरता प्रभावित होती है।

भारत में इसे रोकने के लिए "Prevention of Money Laundering Act (PMLA)" लागू किया गया है, परंतु इसके बावजूद यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

6. आतंकवाद (Terrorism)

आतंकवाद वर्तमान समय में एक वैश्विक समस्या बन चुका है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसका उद्देश्य भय, अस्थिरता और असुरक्षा का वातावरण पैदा करना होता है।

भारत में आतंकवाद के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं—सीमापार आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, और वैचारिक आतंकवाद। जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा महानगरों में आतंकवादी गतिविधियाँ समय-समय पर देखी गई हैं।

आतंकवाद न केवल मानव जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि आर्थिक विकास, निवेश और सामाजिक स्थिरता को भी बाधित करता है।

7. संगठित अपराध (Organized Crime)

संगठित अपराध वह आपराधिक गतिविधियाँ हैं, जो संगठित गिरोहों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की जाती हैं। इसमें अपहरण, तस्करी, हवाला, साइबर अपराध, मानव तस्करी, अवैध हथियार व्यापार आदि शामिल हैं।

ये अपराध न केवल कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हैं, बल्कि आर्थिक संरचना को भी कमजोर करते हैं। संगठित अपराध अक्सर राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र से जुड़ जाते हैं, जिससे उन्हें रोकना और भी कठिन हो जाता है।

इसके अलावा, साइबर अपराधों के बढ़ते प्रभाव ने आंतरिक सुरक्षा के नए आयाम उत्पन्न किए हैं, जहाँ डिजिटल माध्यमों से आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुँचाया जाता है।

वाह्य राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका

पड़ोसी देश एवं अन्य राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा केवल घरेलू कारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहरी राज्य अभिकर्ताओं (External State Actors) की गतिविधियाँ भी इसे गहराई से प्रभावित करती हैं। पड़ोसी देश एवं अन्य वैश्विक शक्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती रही हैं, जिसका उद्देश्य राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है।

सबसे प्रमुख उदाहरण सीमापार आतंकवाद (Cross-Border Terrorism) है, जिसमें विदेशी भूमि से संचालित आतंकवादी संगठन भारत में हिंसात्मक गतिविधियाँ करते हैं। इसके अतिरिक्त, अवैध घुसपैठ (Illegal Infiltration) सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा करती है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। कुछ बाहरी शक्तियाँ अलगाववादी संगठनों को वित्तीय एवं वैचारिक समर्थन देकर देश की एकता एवं अखंडता को चुनौती देती हैं।

इस प्रकार, बाह्य अभिकर्ताओं की भूमिका भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सतत एवं जटिल चुनौती प्रस्तुत करती है, जिसके लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।

उदाहरण:

- सीमापार आतंकवाद
- अवैध घुसपैठ
- अलगाववादी संगठनों को समर्थन

गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका

आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में गैर-राज्य अभिकर्ता (Non-State Actors) आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख निर्धारक बन गए हैं। ये ऐसे संगठन या समूह होते हैं जो किसी एक राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते, फिर भी उनकी गतिविधियाँ व्यापक प्रभाव डालती हैं।

इनमें गैर-सरकारी संगठन (NGOs), बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs), आतंकवादी संगठन, धार्मिक एवं नृजातीय समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया शामिल हैं।

आतंकवादी संगठन हिंसा एवं भय का वातावरण उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ NGOs या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कभी-कभी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के माध्यम से सामाजिक तनाव को बढ़ावा देते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती हैं, जिससे आर्थिक असमानता या संसाधनों के असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार, ये अभिकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की नीतियों, सामाजिक संरचना एवं सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

गैर-राज्य अभिकर्ताओं में शामिल हैं:

- गैर-सरकारी संगठन
- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ
- आतंकवादी संगठन
- धार्मिक एवं नृजातीय समूह
- अंतर्राष्ट्रीय मीडिया

ये संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं।

आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की खामियाँ

भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में कई संरचनात्मक एवं कार्यात्मक कमियाँ विद्यमान हैं, जो सुरक्षा चुनौतियों को और जटिल बनाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या दीर्घकालिक सुरक्षा नीति का अभाव है, जिसके कारण सुरक्षा उपाय अक्सर प्रतिक्रियात्मक (Reactive) होते हैं। पुलिस सुधारों का अधूरा क्रियान्वयन और संसाधनों की कमी कानून-व्यवस्था को कमजोर बनाती है।

इसके अतिरिक्त, न्यायिक निर्देशों की अनदेखी, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, तथा खुफिया तंत्र की कमजोरी समय पर

सूचना एकत्र करने और उस पर कार्रवाई करने में बाधा उत्पन्न करती है।

इन खामियों के कारण सुरक्षा तंत्र प्रभावी ढंग से उभरती चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता। इसमें मुख्य खमियाँ निम्न हैं :-

- दीर्घकालिक सुरक्षा नीति का अभाव
- पुलिस सुधारों का अधूरा क्रियान्वयन
- न्यायिक निर्देशों की अनदेखी
- समन्वय की कमी
- खुफिया तंत्र की कमजोरी

आंतरिक सुरक्षा सुधार के उपाय

भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक समग्र एवं बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

सबसे पहले, खुफिया तंत्र का सुदृढीकरण अत्यंत आवश्यक है, ताकि संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाया जा सके। इसके साथ ही, सक्रिय (Proactive) सुरक्षा रणनीति अपनाकर केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें रोकने पर ध्यान देना चाहिए।

पुलिस बल का आधुनिकीकरण तकनीकी उपकरणों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना जरूरी है।

वर्तमान डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि साइबर हमले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन चुके हैं। इसके अलावा, सीमा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग जैसे ड्रोन, निगरानी प्रणाली आदि को बढ़ावा देना चाहिए।

अंततः, एक समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (Comprehensive National Security Policy) का निर्माण आवश्यक है, जो सभी सुरक्षा पहलुओं को एकीकृत रूप में संबोधित करे।

मुख्यतः हम निम्न लिखित कारकों के द्वारा आंतरिक सुरक्षा को सुनियोजित तरीके से आंतरिक सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं।

- खुफिया तंत्र का सुदृढीकरण
- सक्रिय (Proactive) सुरक्षा रणनीति अपनाना
- पुलिस बल का आधुनिकीकरण
- आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण हेतु समन्वय
- साइबर सुरक्षा को मजबूत करना
- सीमा प्रबंधन में तकनीक का उपयोग
- एक समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का निर्माण

निष्कर्ष

भारत की आंतरिक सुरक्षा आज जटिल और बहुआयामी चुनौतियों का सामना कर रही है। बाह्य और आंतरिक खतरों के बीच अंतर करना कठिन होता जा रहा है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एवं रक्षा नियोजन समिति जैसे प्रयास किए गए हैं, परंतु इन सभी संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी है।

आवश्यकता है एक समग्र, समन्वित एवं दीर्घकालिक सुरक्षा नीति की, जो सभी स्तरों पर कार्य करते हुए राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ बनाए।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय. भारत की आंतरिक सुरक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय; 2023.
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. भारत में अपराध रिपोर्ट 2022. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार; 2022.
3. नीति आयोग. भारत में सुरक्षा एवं विकास नीति दस्तावेज. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2021.
4. लोकसभा सचिवालय. आंतरिक सुरक्षा से संबंधित संसदीय प्रश्न एवं उत्तर. नई दिल्ली: संसद भवन; 2022.
5. राज्यसभा सचिवालय. आंतरिक सुरक्षा पर संसदीय बहस. नई दिल्ली: संसद भवन; 2021.
6. कुमार A. भारत की आंतरिक सुरक्षा: चुनौतियाँ और समाधान. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग; 2019.
7. वर्मा A. आंतरिक सुरक्षा एवं पुलिस प्रशासन. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन; 2018.
8. सुब्रमण्यम KS. राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक चुनौतियाँ. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन; 2017.
9. राय VN. भारत में आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन. नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स; 2016.
10. सिंह RK. आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान; 2020.
11. योजना पत्रिका. आंतरिक सुरक्षा विशेषांक. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार; 2022.
12. कुरुक्षेत्र पत्रिका. ग्रामीण विकास एवं आंतरिक सुरक्षा. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, भारत; 2021.
13. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय. आंतरिक सुरक्षा अध्ययन सामग्री. नई दिल्ली: IGNOU; 2020.
14. डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कानून अध्ययन. लखनऊ: RMLNLU; 2019.
15. Jawaharlal Nehru University. आंतरिक सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध अध्ययन. नई दिल्ली: JNU; 2021.
16. प्रेस सूचना ब्यूरो. आंतरिक सुरक्षा पर सरकारी प्रेस विज्ञप्तियाँ. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2023.
17. भारत का विधि आयोग. पुलिस सुधार एवं न्यायिक सुधार रिपोर्ट. नई दिल्ली: विधि आयोग; 2018.
18. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल. आंतरिक सुरक्षा संचालन रिपोर्ट. नई दिल्ली: CRPF; 2022.
19. सीमा सुरक्षा बल. सीमा प्रबंधन एवं आंतरिक सुरक्षा. नई दिल्ली: BSF; 2021.
20. भारतीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो. पुलिस आधुनिकीकरण एवं आंतरिक सुरक्षा. नई दिल्ली: BPR&D; 2020.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author

डॉ. लाल बहादुर राम, सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में अनुभवी शिक्षाविद् एवं शोधकर्ता हैं। वर्तमान में वे समता पी जी कॉलेज सादात, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उनके अध्ययन एवं शोध के प्रमुख क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक अध्ययन, सैन्य इतिहास तथा रक्षा नीति से संबंधित हैं।